

अध्याय 2: बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट

2.1.1 कर प्रबंध

हरियाणा में मूल्य वर्धित कर (वैट) के निर्धारण, उद्ग्रहण तथा संग्रहण, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (एच.वी.ए.टी. अधिनियम) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शासित होते हैं। आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.) हरियाणा में एच.वी.ए.टी. अधिनियम तथा नियमों के संचालन के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग का मुखिया है। आबकारी एवं कराधान अधिकारी (ई.टी.ओ.) डीलरों के पंजीकरण, वैट के निर्धारणों, उद्ग्रहण तथा संग्रहण के लिए उत्तरदायी हैं। प्रत्येक डीलर, जिसका सकल आवर्त (जी.टी.ओ.) ₹ पांच लाख से अधिक बढ़ गया है, उसका जी.टी.ओ., करयोग्य प्रमात्रा के बढ़ने के दिन के अनुवर्ती दिन से एच.वी.ए.टी. अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत करवाने हेतु उत्तरदायी थे। एच.वी.ए.टी. अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत सभी डीलरों को करदाता पहचान संख्या (टिन) प्रदान की गई थी। एच.वी.ए.टी. अधिनियम के अन्तर्गत पिछले बिंदु {इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.)} पर प्रदत्त कर के प्रति छूट अनुमत करने के पश्चात् बिक्री के प्रत्येक बिन्दु पर निर्धारित दरों पर कर उद्ग्रहीत किया गया था। अधिनियम के अंतर्गत चयनित मामलों में लेखा-बहियों की जांच के बाद कर-निर्धारण किए गए थे।

2.1.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

आबकारी एवं कराधान विभाग में बिक्री कर/वैट के निर्धारणों एवं रिफंडों से संबंधित अभिलेखों की वर्ष 2012-13 के दौरान की गई नमूना-जांच ने 1,197 मामलों में ₹ 1,640.32 करोड़ से आवेष्टित कर के निर्धारणों, उद्ग्रहण एवं संग्रहण में अनियमितताएं प्रकट की जो मोटे तौर पर तालिका 2.1 की श्रेणियों में वर्णित किए गए हैं।

तालिका 2.1

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1.	“रिमांड और रिविजन मामलों के निपटान में विलंब” पर निष्पादन लेखापरीक्षा	01	0.45
2.	कर की गलत दरों के प्रयोग के कारण कर का अवनिर्धारण	01	91.81
3.	बिक्रियों/क्रयों को छिपाने के कारण कर का अपवंचन	01	456.53
4.	जुमनि का अनुद्ग्रहण	102	486.83
5.	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत टर्नओवर का अवनिर्धारण	91	256.75
6.	कर की गलत दरों का प्रयोग	197	68.60
7.	ब्याज का अनुद्ग्रहण	55	12.58
8.	वैट के अंतर्गत टर्नओवर का गलत परिकलन	55	12.10
9.	अन्य अनियमितताएं	694	254.67
	कुल	1,197	1,640.32

वर्ष 2012-13 का प्रतिवेदन (राजस्व सेक्टर)

वर्ष 2012-13 के दौरान विभाग ने 105 मामलों में ₹ 8.82 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की, जिनमें से तीन मामलों में आवेष्टित ₹ 1.23 लाख वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने वर्ष 2012-13 के दौरान 46 मामलों में ₹ 67.43 लाख वसूल किए जिनमें से दो मामलों में आवेष्टित ₹ 53,324 वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे।

₹ 45.26 लाख के कर प्रभाव से आवेष्टित “रिमांड और रिविजन मामलों के निपटान में विलंब” पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा ₹ 554.19 करोड़ से आवेष्टित व्याख्यात्मक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां अनुवर्ती अनुच्छेदों में उल्लिखित हैं।

2.2 रिमांड और रिविजन मामलों के निपटान में विलंब

2.2.1 विशिष्टताएं

- अपील मामलों की संख्या 2,993 से 3,399 तक बढ़ गई जबकि रिमांड मामले 717 से 1,507 तक बढ़ गए।

(अनुच्छेद 2.2.8 तथा 2.2.8.3)

- रिमांड मामलों को फाइनल न करने के परिणामस्वरूप 33 मामलों में ₹ 3.20 करोड़ के राजस्व का अवरोधन हुआ और एच.जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत ₹ 3.91 करोड़ के 34 मामलों के फाइनल करने में 20 से 42 माह तक विलंब था।

(अनुच्छेद 2.2.8.4 तथा 2.2.8.5)

- एच.वी.ए.टी. अधिनियम के अंतर्गत, रिमांड मामलों को समय के अंदर, फाइनल न करने के परिणामस्वरूप 198 मामलों में ₹ 20.10 करोड़ के राजस्व का अवरोधन हुआ तथा ₹ 6.33 करोड़ की राशि के समय बाधित 83 मामले विलंब से फाइनल हुए।

{(अनुच्छेद 2.2.8.6 (i) तथा (ii))}

- छियत्तर रिमांड मामले अब भी लंबित पड़े थे परिणामस्वरूप ₹ 19.86 करोड़ के राजस्व का अवरोधन हुआ तथा ₹ 3.54 करोड़ के कर वाले 78 रिमांड मामले एक से 53 माहों के बीच विलंब के बाद फाइनल किए गए थे।

{(अनुच्छेद 2.2.8.7 (i) तथा (ii))}

2.2.2 प्रस्तावना

एच.वी.ए.टी. अधिनियम तथा केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 (सी.एस.टी. अधिनियम) उसके अधीन निर्मित नियम, वैट के उद्ग्रहण, निर्धारण तथा संग्रहण को शासित करते हैं। एच.वी.ए.टी. अधिनियम के सेक्शन 33 के अंतर्गत अधिनियम अथवा नियमों के अंतर्गत पारित मूल आदेश द्वारा स्वयं को एग्रीवड मानने वाला असेसी, कर निर्धारण आदेश की प्रति प्राप्त करने की तिथि से 60 दिनों के अंदर विभागीय अपील प्राधिकारियों को अपील फाइल कर सकता है। अधिनियम में प्रावधान है कि जब तक अपील प्राधिकारी संतुष्ट नहीं होता कि निर्धारित कर की राशि तथा पेनल्टी और ब्याज यदि कोई वसूलनीय है, का भुगतान किया जा चुका है, किसी अपील की सुनवाई नहीं होगी। यदि अपील प्राधिकारी संतुष्ट होता है, कि यदि एसेसी, निर्धारित कर अर्थात् लगाई गई पेनल्टी अथवा देय ब्याज की समग्र राशि का लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए भुगतान करने में असमर्थ है, अपील की सुनवाई कर सकता है तथा उसकी संतुष्टि के लिए बैंक गारंटी अथवा पर्याप्त प्रतिभूति के प्रस्तुतिकरण के अध्यक्षीन शेष राशि की वसूली स्थगित कर सकता है। अपील प्राधिकारी अपील को रद्द अथवा स्वीकृत कर सकता है तथा मांगी गई राहत अनुमत कर सकता है अथवा पुनः कर निर्धारण के लिए मामला वापस कर निर्धारण प्राधिकारी (ए.ए.) को भेज सकता है। एच.वी.ए.टी. अधिनियम के सेक्शन 18(1) में, रिमांड मामलों के निपटान के लिए दो वर्षों की लिमिटेशन अवधि का प्रावधान है।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम का सेक्शन 34 तथा उसके अधीन निर्मित नियमों में प्रावधान है कि कमिश्नर, अपनी स्वयं की इच्छा से, अधिनियम के अंतर्गत उसकी अथवा किसी ए.ए. की सहायता के लिए नियुक्त किसी अधिकारी के समक्ष लंबित अथवा द्वारा निपटाए गए किसी मामले के अभिलेख, जैसे किसी प्रोसीडिंग्स अथवा उसमें किए गए किसी आदेश की लीगेलिटी अथवा औचित्य की अपनी संतुष्टि के लिए मांग सकता है तथा उस संबंध में जैसा वह ठीक समझे ऐसा आदेश पास कर सकता बशर्ते कि आदेश की तिथि से तीन वर्षों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् कोई आदेश इस प्रकार संशोधित नहीं किया जाएगा।

हरियाणा सामान्य बिक्री अधिनियम 1973 (ह.सा.बि.अ.) के अंतर्गत रीअसेसमेंट के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। फिर भी, ई.टी.सी. ने, जुलाई 1997 के अपने निर्देश में तथा बाद में जुलाई 2005 में सभी ए.ए.ज को, रिमांड आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से छः माह के अंदर रिमांड मामलों का निर्णय करने के लिए निदेश दिए।

2.2.3 संगठनात्मक ढांचा

सरकारी स्तर पर मानीटरिंग तथा नियंत्रण प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा किया जाता है। वेट का समस्त नियंत्रण ई.टी.सी. के पास है, अधिनियम के कार्यान्वयन तथा प्रशासन में जिसकी सहायता नौ अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त (अ.आ.क.आ.), 10 संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त (स.आ.क.अ.), 23 उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त {(उ.आ.क.आ.(बि.क.))} तथा ई.टी.ओज एवं अन्य सहायक स्टाफ द्वारा की जाती है।

अंबाला, रोहतक तथा फरीदाबाद में तीन जे.ई.टी.सी.ज (अपीलज) थे जो अपील प्राधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। अंबाला, हिसार, गुड़गांव तथा फरीदाबाद में चार जे.ई.टी.सी.ज (रेंज) तथा {डी.ई.टी.सी (बि.क.) इंस्पेक्शन} रिविजनल प्राधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त, ई.टी.सी., रिविजनल प्राधिकारी के रूप में, मामले ए.ए.ज को रीअसेसमेंट के लिए वापस भी भेज सकता है।

2.2.4 आडिट आबजेक्टिवज

परफार्मेंस आडिट के आबजेक्टिवज यह सुनिश्चित करना है कि:

- रिमांड/रीअसेसमेंट मामलों के निपटान के संबंध में प्रचलित सिस्टम की क्षमता संतोषजनक है;
- रिमांड और रिविजन मामलों के निपटान से संबंधित प्रक्रियाओं/सांविधिक प्रावधानों तथा कार्यकारी निर्देशों का अनुपालन, रिमांड मामलों के समयपूर्व निपटान सुनिश्चित करने के लिए किया गया था; तथा
- रिमांड मामलों का समयपूर्व निपटान सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली मौजूद थी।

2.2.5 आडिट क्राइटेरिया

आडिट क्राइटेरिया निम्नलिखित स्रोतों से लिया गया था:

- एच.जी.एस.टी. अधिनियम 1973, एच.वी.ए.टी. अधिनियम 2003, सी.एस.टी. अधिनियम, 1956 तथा उसके अधीन निर्मित नियम/अपील मामले फाइनल करने के लिए हरियाणा सरकार की अधिसूचनाएं।
- रिमांड मामलों के असेसमेंट/रीअसेसमेंट से संबंधित हरियाणा सरकार की दिशानिर्देशों तथा अधिसूचना।
- रिविजनल प्राधिकारियों द्वारा मामलों के फाइनलाइजेशन से संबंधित हरियाणा सरकार के दिशानिर्देश तथा अधिसूचनाएं।
- विभाग की एक्टिविटी/अप्रेजल रिपोर्ट्स में विषय का कोई उल्लेख।

2.2.6 आडिट का स्कोप तथा मेथडालाजी

वर्ष 2009-10 से 2011-12 के लिए तीन अपील प्राधिकारियों में से दो¹, 23 डी.ई.टी.सीज (एस.टी.) में से दस² डी.ई.टी.सीज (एस.टी.) के रिमांड और रिविजन मामलों से संबंधित अभिलेखों की दिसंबर 2012 तथा जुलाई 2013 के मध्य नमूना जांच की गई। हमने, साइज मेथड (रिप्लेसमेंट बिना) से आनुपातिक संभाव्यता लागू कर रेंडम सैंपल सलेक्शन आधार पर दस डी.ई.टी.सीज (एस.टी.) सलेक्ट किए।

2.2.7 आभारोक्ति

लेखापरीक्षा को सुगम बनाने के लिए आवश्यक सूचना एवं अभिलेख प्रदान करने में आबकारी एवं कराधान विभाग के सहयोग के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी एवं कराधान विभाग के साथ एक एंटी काफ्रेंस आयोजित की गई थी (फरवरी 2013) जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्य, मेथडालाजी तथा जिलों के चयन के लिए अपनाए गए क्राइटेरिया स्पष्ट किए गए थे। ड्रफ्ट परफार्मेंस आडिट रिपोर्ट, सितंबर 2013 में विभाग तथा सरकार को कमेंट्स के लिए भेजी गई थी। प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार (आबकारी एवं कराधान विभाग) ई.टी.सी., ए.ई.टी.सीज तथा अन्य अधिकारियों के साथ एक एग्जिट काफ्रेंस 17 अक्टूबर 2013 को आयोजित की गई थी।

विभाग/सरकार के साथ दोबारा एग्जिट काफ्रेंस आयोजित (जनवरी 2014) की गई थी। विभाग/सरकार के दृष्टिकोण निष्पादन लेखापरीक्षा में उपयुक्त रूप से शामिल कर लिए गए हैं।

1 फरीदाबाद और रोहतक।

2 भिवानी, फरीदाबाद (प.), फतेहाबाद, गुड़गांव (प.), हिसार, जगाधरी, करनाल, रेवाड़ी, रोहतक, तथा सिरसा।

2.2.8 फाइल की गई अपीलज तथा उनके निपटान का ट्रेंड

वर्ष 2009-10 से 2011-12 के लिए अपील मामलों की स्थिति, जैसा कि जे.ई.टी.सी. (अपील) अंबाला, फरीदाबाद तथा रोहतक द्वारा प्रस्तुत की गई, तालिका 2.2 में दी गई हैं।

तालिका 2.2

क्र.सं.	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12
1	आगे लाए गए अपील मामलों की संख्या	2,993	3,218	3,507
2	वर्ष के दौरान उठने वाले अपील मामलों की संख्या	2,856	2,599	2,253
	योग	5,849	5,817	5,760
3	(i) वर्ष के दौरान फाइनल किए गए/ट्रांसफर किए गए अथवा ए.ए. को वापस भेजे गए अपील मामलों की संख्या	1,392	1,328	2,107
	(ii) रिजेक्ट की गई अपीलों की संख्या	1,239	982	254
4	वर्ष की समाप्ति पर लंबित अपील मामलों की संख्या	3,218	3,507	3,399

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जाएगा कि अपील मामलों की संख्या 2009-10 से 2011-12 तक की अवधि के दौरान 2,993 से 3,399 तक बढ़ गई थी।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान (जनवरी 2014) ई.टी.सी.ज ने बताया कि अपील मामलों पर राज्य नीति जल्द ही तैयार की जाएगी।

2.2.8.1 ई.टी.सी. के निदेशों का पालन न करना

रिमांड मामलों में देरी से बचने के लिए, ई.टी.सी. हरियाणा ने जुलाई 2005 में सभी जे.ई.टी.सी. (अपील) को निर्देश जारी किए थे कि सभी रिमांड मामले, संबंधित ए.ए.ज को आदेश/निर्णय जारी होने के पश्चात् दो माह के अंदर, डीलर को दिए जाने चाहिए।

जे.ई.टी.सी. (अपील) के अभिलेखों की मार्च 2013 में नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि 2009-10 से 2011-12 के दौरान सात से 183 दिनों (आरंभिक दो माह छोड़कर) के मध्य विलंब के पश्चात् डीलरों/ए.ए. को 56 रिमांड मामलों के आदेश दिए गए थे।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान (जनवरी 2014) सभी डी.ई.टी.सी.ज ने आश्वासन दिया कि अनुदेशों का भविष्य में अनुसरण किया जाएगा।

2.2.8.2 अभिलेखों का न रखना

रिमांड मामले मानीटर करने के लिए, ई.टी.सी. ने जुलाई 1997 के अपने निर्देशों में, प्रत्येक डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालय में अपील रजिस्टर मेनटेन किया जाना निर्धारित किया। रिमांड मामलों की प्राप्ति एवं निपटान की निगरानी के लिए रजिस्टर, मानीटरिंग टूल के रूप में कार्य करता है।

दिसंबर 2012 और जुलाई 2013 के मध्य रिमांड मामलों की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि आठ डी.ई.टी.सी.³ (एस.टी.) कार्यालयों में, 2009-10 से 2011-12 की अवधि के दौरान अपील प्राधिकारियों द्वारा रिमांड किए गए मामलों के रजिस्टर मेनटेन नहीं किए गए थे।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान (जनवरी 2014) डी.ई.टी.सीज ने बताया कि अब अपील रजिस्ट्रों का रख-रखाव अलग से किया जाएगा।

2.2.8.3 रिमांड मामलों का निपटान

नमूना-जांच किए गए 10 डी.ई.टी.सीज (एस.टी.) में, वर्ष के आरंभ में लंबित, वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान प्राप्त और निपटान किए गए तथा वर्ष की समाप्ति पर लंबित रिमांड मामलों की संख्या तालिका 2.3 में उल्लिखित है।

तालिका 2.3

(मामलों की संख्या)						
क्र.सं.	वर्ष	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त मामले	कुल	निपटाए गए मामले	निपटान के लिए लंबित मामले
1	2009-10	717	713	1,430	563	867
2	2010-11	867	534	1,401	539	862
3	2011-12	862	1,009	1,871	364	1,507
योग		2,446	2,256	4,702	1,466	3,236

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान (जनवरी 2014) ई.टी.सी. ने बताया कि विभाग अधिनियम में संशोधन करेगा तथा इन मामलों को फाईनल करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

2.2.8.4 एच.जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत फाइनलाइजेशन के लिए लंबित मामले

एच.जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत, रिमांड मामलों के रीअसेसमेंट के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। फिर भी, ई.टी.सी. ने, रिमांड आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से छः माह के भीतर रिमांड मामलों का निर्णय करने के लिए सभी ए.एज को जुलाई 1997 में निर्देश जारी किए थे।

सात⁴ डी.ई.टी.सीज (एस.टी.) कार्यालयों में, दिसंबर 2012 से जुलाई 2013 के बीच रिमांड मामलों की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि ₹ 3.20 करोड़ के कर वाले, 1977-78 से 2002-03 की अवधि से संबंधित 33 मामले जुलाई 2007 तथा नवंबर 2011 के मध्य रीअसेसमेंट के लिए भेजे गए थे। ये मामले अब भी फाइनलाइजेशन के लिए पेंडिंग थे। विलंब 18 और 60 माह के बीच था जैसा कि तालिका 2.4 में वर्णित है।

3 भिवानी, फरीदाबाद (प.), फतेहाबाद, गुड़गांव (प.), हिसार, जगाधरी, करनाल तथा रेवाड़ी।

4 फतेहाबाद, गुड़गांव (प.), हिसार, जगाधरी, करनाल, रेवाड़ी तथा सिरसा।

तालिका 2.4

लंबित रीअसेसमेंट्स	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
12 माह के बाद परंतु 24 माह तक	6	1.86
24 माह के बाद परंतु 36 माह तक	7	0.56
36 माह के बाद परंतु 48 माह तक	7	0.05
48 माह के बाद परंतु 60 माह तक	13	0.73
कुल	33	3.20

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान (जनवरी 2014) प्रधान सचिव ने सभी संबंधित डी.ई.टी.सीज को निदेश दिए कि रिमांड मामलों को 30 जून 2014 तक फाइनल करें।

2.2.8.5 छः माह के विलंब के बाद फाइनल किए गए मामले (एच.जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत)

एच.जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत, रिमांड मामलों के रीअसेसमेंट के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। फिर भी, ई.टी.सी. ने सभी ए.एज को, रिमांड आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से छः माह के भीतर रिमांड मामलों का निर्णय करने के लिए जुलाई 1997 में निर्देश जारी किए थे।

दिसंबर 2012 से जुलाई 2013 के बीच तीन⁵ डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालयों में रिमांड मामलों की जांच के दौरान हमने देखा कि ₹ 3.91 करोड़ की कर देयता वाले, असेसमेंट वर्ष 1997-98 से 2002-03 से संबंधित 34 मामले जुलाई 2007 तथा अगस्त 2009 के बीच रीअसेसमेंट के लिए भेजे गए थे। ये मामले अप्रैल 2009 तथा मई 2012 के बीच छः माह की अवधि के पश्चात् फाइनल किए गए थे। रिमांड मामलों के फाइनल एक्शन में विलंब 20 और 42 माह के बीच था, जैसा कि तालिका 2.5 में वर्णित है।

तालिका 2.5

फाइनल की गई रीअसेसमेंट्स	मामलों संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
12 माह के बाद परंतु 24 माह तक	7	1.23
24 माह के बाद परंतु 36 माह तक	21	2.15
36 माह के बाद परंतु 48 माह तक	6	0.53
कुल	34	3.91

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) फरीदाबाद (प.) में, एक डीलर के तीन मामले, वर्ष 2000-01 से 2002-03 के लिए नए सिरे से असेसमेंट के लिए 8 फरवरी 2005 को अपील प्राधिकारी द्वारा ए.एज को वापस भेजे गए थे। इन वर्षों के लिए असेसमेंट्स, ₹ 74.25 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित कर, मार्च 2011 में फाइनल किए गए थे। फिर भी, बकाया कर की वसूली का नोटिस सर्व नहीं किया जा सका क्योंकि फर्म का प्रोपराइटर ट्रेसेबल नहीं था। इसलिए, अतिरिक्त मांग सृजित करने का प्रयोजन विफल हो गया।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान (जनवरी 2014) प्रधान सचिव ने सभी संबंधित डी.ई.टी.सीज को निदेश दिए कि रिमांड मामलों को 30 जून 2014 तक फाइनल करें।

5 फरीदाबाद (प.), गुड़गांव (प.) तथा जगाधरी।

2.2.8.6 एच.वी.ए.टी. अधिनियम के अंतर्गत रिमांड मामलों का निपटान

(i) एच.वी.ए.टी. अधिनियम के अंतर्गत फाइनलाइजेशन के लिए लंबित मामले

एच.वी.ए.टी. अधिनियम का सेक्शन 18, रिमांड मामलों के निपटान के लिए दो वर्षों की लिमिटेशन अवधि का प्रावधान करता है। ई.टी.सी. ने सभी डी.ई.टी.सीज (एस.टी.) को, अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान किए गए अनुसार लिमिटेशन अवधि के अंदर ऐसे सभी मामलों के शीघ्र निपटान की आवश्यकता बारे, परामर्श भी दिया था (मार्च 2012)। यह भी स्पष्ट किया गया था कि यदि कोई रिमांड मामला टाइम बार्ड हो जाता है तो संबंधित ए.ए. उसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराए जाएंगे।

दिसंबर 2012 से जुलाई 2013 के बीच 8⁶ डी.ई.टी.सीज (एस.टी.) कार्यालयों में रिमांड मामलों की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि अप्रैल 2007 और जून 2011 के बीच वापस भेजे गए, ₹ 20.10 करोड़ के कर वाले 198 मामले 2003-04 से 2007-08 की अवधि से संबंधित फाइनलाइजेशन के लिए लंबित थे यद्यपि, आदेश की प्राप्ति की तिथि से दो वर्ष से अधिक समय बीत चुका था। विलंब 1 से 49 माह के बीच थे, जैसा कि तालिका 2.6 में वर्णित है।

तालिका 2.6

पेंडिंग रीअसेसमेंट्स	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
एक माह के बाद परंतु 12 माह तक	56	4.14
12 माह के बाद परंतु 24 माह तक	71	6.23
24 माह के बाद परंतु 36 माह तक	51	7.27
36 माह के बाद परंतु 48 माह तक	19	2.38
48 माह के बाद परंतु 60 माह तक	1	0.08
कुल	198	20.10

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान (जनवरी 2014) ई.टी.सी. ने बताया कि चूक के मामले में प्रभारी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

(ii) एच.वी.ए.टी. अधिनियम के अंतर्गत दो वर्षों के बाद फाईनल किए गए मामले

नौ डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)⁷ कार्यालयों में रिमांड मामलों की नमूना जांच के दौरान हमने दिसंबर 2012 तथा जुलाई 2013 के मध्य देखा कि ₹ 6.33 करोड़ के कर वाले, 2003-04 से 2008-09 तक की अवधि से संबंधित 83 मामले जुलाई 2007 और जनवरी 2011 के बीच भेजे गए थे। ये अप्रैल 2009 तथा अप्रैल 2013 के मध्य एक और 46 माह के मध्य श्रृंखलित विलंब के साथ फाईनल किए गए थे जैसा कि तालिका 2.7 में वर्णित है।

6 भिवानी, फरीदाबाद (प.), फतेहाबाद, गुड़गांव (प.), हिसार, जगाधरी, करनाल तथा रेवाड़ी।

7 भिवानी, फरीदाबाद (प.), फतेहाबाद, गुड़गांव (प.), हिसार, जगाधरी, करनाल, रेवाड़ी तथा रोहतक।

तालिका 2.7

फाईनल की गई रीअसैसमेंट्स (आरंभिक दो वर्षों को छोड़कर)	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
एक माह के बाद परंतु 12 माह तक	52	4.82
12 माह के बाद परंतु 24 माह तक	16	0.79
24 माह के बाद परंतु 36 माह तक	10	0.59
36 माह के बाद परंतु 48 माह तक	5	0.13
कुल	83	6.33

इस प्रकार, उपर्युक्त 83 मामले टाइम बार्ड होने के बाद फाईनल किए गए थे लेकिन विभाग ने डिफाल्टिंग अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (जनवरी 2014) प्रधान सचिव ने इस संबंध में सभी डी.ई.टी.सीज के विचार लिखित में मांगे।

2.2.8.7 अपील प्राधिकारी के निदेशों का पालन न करना

(i) रीअसैसमेंट फाईनल न करना

जे.ई.टी.सी. (अपील)⁸ ने संबंधित ए.एज को मामले वापस करते समय, मामले एक से तीन माह के बीच निश्चित समय सीमा में रीअसैस करने के लिए निदेश दिए।

चार डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)⁹ कार्यालयों में रिमांड मामलों की नमूना-जांच के दौरान हमने दिसंबर 2012 तथा जुलाई 2013 के बीच नोटिस किया कि जुलाई 2007 तथा मार्च 2012 के बीच भेजे गए, ₹ 19.86 करोड़ के कर वाले, 1998-99 से 2007-08 की अवधि से संबंधित 76 मामले अभी भी लंबित पड़े थे। विलंब आठ से 104 माह के बीच था, जैसा कि तालिका 2.8 में वर्णित है।

तालिका 2.8

लंबित रीअसैसमेंट	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
एक माह के बाद परंतु 12 माह तक	3	0.33
12 माह के बाद परंतु 24 माह तक	3	0.16
24 माह के बाद परंतु 36 माह तक	15	3.04
36 माह के बाद परंतु 48 माह तक	20	14.23
48 माह के बाद परंतु 60 माह तक	29	1.94
60 माह के बाद परंतु 120 माह तक	6	0.17
कुल	76	19.86

8 अंबाला, फरीदाबाद (प.) तथा रोहतक।

9 भिवानी, गुड़गांव (प.), करनाल तथा सिरसा।

इतने में, ₹ 12.26 करोड़ के कर वाले 23 डीलरों (28 मामले) ने अपने बिजनेस बंद कर दिए थे तथा फर्मों के मालिक ट्रेसेबल नहीं थे। इस प्रकार इन मामलों में वसूली की संभावना कम थी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (जनवरी 2014) ई.टी.सी. ने बताया कि आगे किसी विलंब के बिना इन मामलों के निपटान के लिए निदेश जारी किए जाएंगे।

(ii) रिमांड मामलों के फाइनलाइजेशन में विलंब

दस डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)¹⁰ कार्यालयों में रिमांड मामलों की नमूना-जांच के दौरान, हमने दिसंबर 2012 तथा जुलाई 2013 के बीच नोटिस किया कि अगस्त 2007 तथा अगस्त 2011 के बीच भेजे गए, ₹ 3.54 करोड़ के कर वाले, 1999-2000 से 2007-08 की अवधि से संबंधित 78 मामले एक से 53 माह के बीच श्रंखलित विलंब के बाद फाईनल किए गए थे जैसा कि तालिका 2.9 में वर्णित है।

तालिका 2.9

फाईनल किए गए रीअसैसमेंट्स	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
एक माह के बाद परंतु 12 माह तक	31	1.29
12 माह के बाद परंतु 24 माह तक	24	1.71
24 माह के बाद परंतु 36 माह तक	9	0.23
36 माह के बाद परंतु 48 माह तक	8	0.10
48 माह के बाद परंतु 60 माह तक	6	0.21
कुल	78	3.54

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (जनवरी 2014) ई.टी.सी. ने बताया कि आगे किसी विलंब के बिना इन मामलों के निपटान के लिए निदेश जारी किए जाएंगे।

2.2.9 रिविजन मामले

एच.वी.ए.टी. अधिनियम का सेक्शन-34 प्रावधान करता है कि कमिश्नर, अपनी स्वेच्छा से, उसकी अथवा किसी ए.ए. की सहायता के लिए अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त किसी अधिकारी के समक्ष लंबित अथवा द्वारा निपटाए गए किसी मामले के अभिलेख, किसी प्रोसीडिंग अथवा उसमें किए गए किसी आदेश की लीगलिटी अथवा औचित्य से स्वयं को संतुष्ट करने के प्रयोजन हेतु मांग सकता है तथा उस संबंध में ऐसा आदेश पास कर सकता है जैसा कि वह ठीक समझे बशर्ते कि आदेश की तिथि से तीन वर्षों की अवधि की समाप्ति के बाद कोई आदेश संशोधित नहीं किया जाएगा।

10 भिवानी, फरीदाबाद (प.), फतेहाबाद, गुड़गांव (प.), हिसार, जगाधरी, करनाल, रेवाड़ी, रोहतक तथा सिरसा।

चार डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)¹¹ के 11 मामलों में, डी.ई.टी.सी. (इंस्पेक्शन) ने असैसमेंट फाइलें मंगवाई तथा उन्हें संबंधित ए.एज को जांच के लिए वापस भेजी। इनमें से ₹ 0.27 करोड़ की राशि के तीन मामले जांच के लिए पेडिंग थे तथा शेष आठ मामलों में ₹ 0.44 करोड़ की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी परन्तु वह वसूल नहीं की गई थी।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान (जनवरी 2014) डी.ई.टी.सी., रेवाड़ी ने बताया कि शेष राशि वसूल करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

2.2.10 जाली घोषणा-पत्र प्रस्तुत करके कर का अपवंचन

सी.एस.टी. अधिनियम का सेक्शन 8(4) प्रावधान करता है कि सब-सेक्शन (1) के अंतर्गत रियायत, अन्तर्राज्य व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान किसी बिक्री पर लागू नहीं होगी जब तक व्यापारी ए.एज को, पंजीकृत व्यापारी, जिसको माल बेचा जाता है, द्वारा फार्म में निर्धारित विवरण शामिल करके विधिवत भरा हुआ तथा हस्ताक्षरित घोषणा-पत्र प्रस्तुत नहीं करता। ई.टी.सी. ने मार्च 2006 में निर्देश जारी किए कि स्पेसिफिक ट्रेडर्स (जांच के लिए चयन किए गए) के मामलों में, एक वर्ष में एक सिंगल वेट डीलर से ₹ एक लाख से अधिक योग वाले सभी ट्रांजेक्शनज की क्रास जांच की जानी चाहिए।

सात डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)¹² कार्यालयों में, ग्यारह डीलरों ने वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान ₹ 5.74 करोड़ के बिक्री मूल्य के लिए घोषणा प्रपत्र 'सी' तथा 'एफ' पर कर की रियायती दर क्लेम की जो फार्मों की क्रास जांच पर जाली पाए गए परिणामतः ₹ 45.26 लाख की राशि के टैक्स का अपवंचन हुआ इसके अतिरिक्त ₹ 1.36 करोड़ का कर भी उद्ग्राह्य था।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान (जनवरी 2014) ई.टी.सी. ने अधिनियम के अंतर्गत ऐसे धोखेबाजों के विरुद्ध मामले/एफ.आई.आरज दर्ज करने के लिए डी.ई.टी.सीज को निदेश दिए।

2.2.11 आंतरिक नियंत्रण

प्रभावी आन्तरिक नियंत्रण रखने के लिए, विभाग ने डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) द्वारा ई.टी.सी. को प्रतिमाह प्रस्तुत की जाने वाली स्टेटमेंट्स/रिटर्नज निर्धारित की।

ई.टी.सी., हरियाणा में अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि रिमांड और रिविजन मामलों की प्राप्ति एवं निपटान दर्शाने वाली निर्धारित विवरणियां डी.ई.टी.सी. से प्राप्त नहीं हुई थी तथा विभाग स्तर पर कोई मानीटरिंग नहीं थी और आंतरिक लेखापरीक्षा की कवरेज भी पर्याप्त नहीं थी। आडिट पैराग्राफ 2.2.8.1 से 2.2.8.5 में चर्चा की गई अनियमितताएं अप्रभावी आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली की सूचक हैं।

11 फतेहाबाद, हिसार, करनाल तथा रेवाड़ी।

12 फरीदाबाद(प.), फतेहाबाद, गुड़गांव (प.), जगाधरी, करनाल, रोहतक तथा सिरसा।

2.2.12 निष्कर्ष

रिमांड और रिविजन मामलों के फाइनलाइजेशन में असामान्य देरी के परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व की अवसूली हुई। ई.टी.सी. द्वारा जारी निर्देशों का असेसमेंट मामलों के फाइनलाइजेशन में ए.ए.ज द्वारा, पालन नहीं किया गया। रिमांड/रिविजन मामलों का टाइमली मैनेर में निपटान सुनिश्चित करने के लिए विभाग में आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली की कमी थी।

2.2.13 सिफारिशें

मामलों के स्पीडी समायोजन के लिए, प्रणाली की प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार निम्न स्टेपस पर विचार कर सकती है:

- रिमांड मामलों की मानीटरिंग के लिए अनिवार्य, रिमांड मामलों का रजिस्टर जैसा अभिलेख, संयुक्त आयुक्त (अपील)/डी.ई.टी.सी./ए.ए.-वार, अधिनियम/निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार बनाए जाएं।
- असेसमेंट मामलों पर अधिक ध्यान दिया जाए तथा अधिनियम के प्रावधानों तथा विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।
- अधिनियम के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली बनाई जाए।

2.3 कर की गलत दरों के प्रयोग के कारण कर का अवनिर्धारण

2.3.1 कर का अनुदग्रहण/कम उदग्रहण

2.3.1.1 एच.वी.ए.टी. अधिनियम के सेक्शन 7(1)(ए)(iv) के अंतर्गत 1 जुलाई 2005 से सूची 'सी' में वर्गीकृत कोई वस्तु चार प्रतिशत की दर पर कर योग्य है तथा अवर्गीकृत वस्तुएं 12.5 प्रतिशत की दर पर कर योग्य हैं। आगे, यदि कोई डीलर कर का भुगतान करने में विफल रहता तो एच.वी.ए.टी. अधिनियम के सेक्शन 14(6) के अंतर्गत ब्याज भी उदग्रह्य है।

21 डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)¹³ में, 133 डीलरों ने 2004-05 से 2009-10 के दौरान ₹ 1,078.97 करोड़ मूल्य का माल बेचा था तथा माल के गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 116.58 करोड़ के भुगतान योग्य कर के विरुद्ध ₹ 27.19 करोड़ का कर भुगतान किया। ए.ए. ने, डीलरों के क्लेम स्वीकार कर लिए। इसके परिणामस्वरूप ₹ 89.39 करोड़ के कर का अनुदग्रहण/कम उदग्रहण हुआ, इसके अतिरिक्त ₹ 64.98 करोड़ का ब्याज भी, तालिका 2.10 के अनुसार उदग्रह्य था।

तालिका 2.10

क्र. सं.	डी.ई.टी.सी. की संख्या	डीलरों की संख्या	माल का नाम	बिक्री मूल्य	बिक्रियों की अवधि	उदग्रह्य कर	उदग्रहीत कर	कम/अन उदग्रहीत कर	ब्याज
1	5	20	ग्वार गम	163.11	2007-08 से 2009-10	20.39 @ 12.5 %	शून्य	20.39	12.54
2	12	41	हाई डेंसिटी पोलिथीन फैब्रिक	179.74	2006-07 से 2009-10	7.19 @ 4 %	शून्य	7.19	4.91
3	4	7	नेरो वुवन फैब्रिक	27.85	2006-07 से 2009-10	1.11 @ 4 %	शून्य	1.11	0.71
4	2	2	सबमर्सिबल पंपस	3.21	2008-09 से 2009-10	0.40 @ 12.5 %	0.08	0.32	0.16
5	9	14	ट्रेक्टर पार्टस, कोर्न, स्पिंगज, रेडिमेड गारमेंटस, लीज रेंट	17.78	2005-06 से 2009-10	1.63 @ 4 % या 12.5 %	शून्य	1.63	1.08
6.	1	1	लेमिनेटिड क्लोथ, फोम	16.10	2007-08 तथा 2009-10	2.01 @ 12.5%	शून्य	2.01	----
7	1	2	रेलवे ट्रैक मशीन	194.33	2006-07 2008-09 तथा 2009-10	24.29 @ 12.5 %	7.81 @ 4 %	16.48	13.22
8	3	9	मैटीरियल हैंडलिंग एक्विपमेंट	244.75	2007-08 से 2008-09	30.59 @ 12.5 %	9.57 @ 4 %	21.02	17.56

13 अंबाला, भिवानी, फतेहाबाद, फरीदाबाद (पू.), फरीदाबाद (प.), गुड़गांव (पू.), गुड़गांव (प.), हिसार, जगाधरी, जींद, बहादुरगढ़ में झज्जर, कैथल, करनाल, मेवात, पंचकूला, पानीपत, पलवल, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा तथा सोनीपत।

क्र. सं.	डी.ई.टी.सी. की संख्या	डीलरों की संख्या	माल का नाम	बिक्री मूल्य	बिक्रियों की अवधि	उद्ग्राह्य कर	उद्गृहीत कर	कम/अन उद्गृहीत कर	ब्याज
9	5	10	पाइप फिटिंगज	73.9	2007-08 से 2009-10	9.2 @ 12.5 %	2.96 @ 4 %	6.24	5.08
10	4	10	मशीनरी पार्टस/आटो पार्टस	49.81	2005-06 से 2008-09	6.22 @ 12.5 %	1.99 @ 4 %	4.23	3.36
11	1	4	स्काफोल्डिंगज	9.73	2008-09	1.22 @ 12.5 %	0.39 @ 4%	0.83	0.69
12	7	13	सोपस, रेडी मिक्स कंक्रीट, सर्जिकल कॉटन, टाईल्स, लीफ स्पिंगज, मोसक्यूटरो रिप्लेंट ओ.टी. टेबल, फायर फिटिंग एक्विपमेंटस, पी.पी.सी. पोलज इत्यादि	98.66	2005-06 से 2009-10	12.33 @ 12.5 %	4.39 @ 4 %	7.94	5.67
			कुल	1,078.97		116.58	27.19	89.39	64.98

ये इंगित किए जाने पर, विभाग ने एग्जिट कार्रेंस (अक्टूबर 2013) में आडिट आबजरवेशनज स्वीकार कर ली।

2.3.1.2 एच.वी.ए.टी. अधिनियम का सेक्शन 2(1)(जेड.टी.), वर्क कांट्रेक्ट को कांट्रेक्टर तथा कांट्रेक्टी के बीच समझौते के रूप में परिभाषित करता है जिसमें, नकद, आस्थगत भुगतान, अथवा अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए असैबलिंग, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, आल्टरिंग, विनिर्माण, प्रोसेसिंग, फेब्रिकेशन, इंस्टालेशन, फिटिंग आऊट, इंप्रूवमेंट, रिपेयर अथवा किसी चल अथवा अचल संपत्ति की स्थापना, कार्यान्वित करना शामिल होता है। इस प्रकार, वास्तविक निर्माण आरंभ होने से पहले अथवा निर्माण के कंप्लीशन से पहले डेवेलपर्स अथवा अन्यो द्वारा संभावित उपभोक्ताओं के साथ, पूर्णतः निर्मित अपार्टमेंटस अथवा फ्लैटस के लिए किए गए एग्ग्रीमेंट अथवा कांट्रेक्ट को, भवन के निर्माण के वर्क्स कांट्रेक्ट के निष्पादन के लिए एग्ग्रीमेंटस अथवा कांट्रेक्टस के रूप में समझा जाना चाहिए जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, के. रहेजा डेवेलपमेंट कार्पोरेशन वर्सिज कर्नाटक राज्य के केस (पृष्ठ 298 पर 141 एस.टी.सी. में प्रतिवेदित) दिनांक 15 अगस्त 2005, में निर्णय किया गया।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) फरीदाबाद (पश्चिम) के कार्यालय में, एक व्यापारी ने रियल एस्टेट प्रोजेक्टस, जिनमें ₹ 81.06 करोड़ की सामग्री शामिल थी, से ₹ 90.32 करोड़ की एकमुश्त आय प्राप्त की थी। डीलर, संभावित खरीददारों से प्राप्त राशि पर, वर्क कांट्रेक्टर के रूप में कर भुगतान के लिए उत्तरदायी था। डीलर ने, फिरभी, सबकांट्रेक्टरज से ₹ 42.41 करोड़ पर ₹ 1.70 करोड़ की स्रोत पर कर की कटौती कर ली और उसे जमा करवा दिया। ए.ए. ने भी, नवंबर 2011 में कर निर्धारण फाइनल करते समय ₹ 81.06 करोड़ की सही राशि की बजाए ₹ 42.40 करोड़ पर कर उद्गृहीत किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.80 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 2.34 करोड़ के ब्याज का अनुद्ग्रहण हुआ।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान विभाग ने आडिट आबजरवेशन स्वीकार की। ई.टी.सी. ने आगे बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अनुमोदित कर दिया था कि कर तदनुसार उद्गृहीत कर लिया जाएगा।

2.4 बिक्रियों/क्रयों के छिपाने के कारण कर का अपवंचन

एच.वी.ए.टी. अधिनियम, 2003 के सेक्शन 38 (पूर्ववर्ती एच.जी.एस.टी. अधिनियम के सेक्शन 48) के प्रावधानों के अनुसार यदि एक डीलर ने, अपनी बिक्रियों, क्रयों, राज्य में आयातों राज्य से बाहर निर्यातों अथवा माल के स्टॉक को छिपाने के विचार से झूठे अथवा गलत लेखे बनाए हैं अथवा उस संबंध में कोई विवरण छिपाएं है अथवा इस अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत कोई लेखा, विवरणी, दस्तावेज अथवा सूचना जो किसी सामग्री विशेष में झूठी अथवा गलत हो प्रस्तुत की है या किसी प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की हो, ऐसे प्राधिकारी, ऐसे डीलर को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् कर, जिसके लिए उसे असेस किया गया है अथवा असेस किया जाना उत्तरदायी है, के अतिरिक्त, कर की तीन गुणा राशि (एच.जी.एस.टी. अधिनियम के सेक्शन 48 के अंतर्गत दोगुनी), जो बचा ली जाती यदि ऐसा लेखा, रिटर्न, दस्तावेज अथवा सूचना जैसा भी मामला हो, सत्य और सही के रूप में स्वीकार कर लिया जाता, पेनल्टी के रूप में भुगतान करने के लिए निदेश दे सकता है।

2.4.1 बोगस आई.टी.सी. क्लेम/सेल छिपाने के लिए पेनल्टी का अनुद्ग्रहण

मई 2008 तथा जून 2013 के मध्य छः डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालयों¹⁴ के असेसमेंट अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि मार्च 2008 तथा मार्च 2012 के बीच 14 मामलों में असेसमेंट करते समय ए.ए.ज ने निर्णय किया था कि:

- (क) आठ डीलरों ने बोगस क्रयों पर ₹ 4.79 करोड़ का आई.टी.सी. क्लेम किया था;
- (ख) तीन डीलरों ने ₹ 1.52 करोड़ के कर वाली बिक्रियां छिपाई थी; तथा
- (ग) तीन डीलरों ने ₹ 165.21 करोड़ के कर वाली अंतर्राज्य बिक्री, एफ फार्मों के विरुद्ध राज्य से बाहर बांच ट्रांसफर के रूप में क्लेम की थी।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम, 2003 के सेक्शन 38 के प्रावधानों के अनुसार, उपर्युक्त चूकों के लिए कर तथा पेनल्टी लगाई जानी अपेक्षित थी। ए.ए.ज ने, फिरभी, आई.टी.सी. क्लेम अस्वीकार कर दिए तथा केवल कर उद्गृहीत किया परंतु ₹ 440.76 करोड़ की पेनल्टी उद्गृहीत नहीं की।

यह इंगित किए जाने पर, ए.ए.ज फरीदाबाद (प.) तथा पानीपत ने पांच मामलों में ₹ 423.55 करोड़ की मांग सृजित की थी। विभाग ने एग्जिट काफ्रेंस (अक्टूबर 2013) के दौरान आडिट आबजरवेशन भी स्वीकार कर ली थी तथा ई.टी.सी. ने विभागीय अधिकारियों को, मामलों की विस्तार से जांच करने तथा अधिनियम के अंतर्गत ऐसे जालसाजों के विरुद्ध मामले रजिस्टर करने/एफ.आई.आर दर्ज करने के लिए निदेश दिए।

14 फरीदाबाद (पू.)-2; फरीदाबाद (प.)-3; जगाधरी-2; पानीपत-4; रेवाड़ी-2 तथा सोनीपत-1.

2.4.2 बिक्री को छिपाना

(i) पांच डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालयों¹⁵ में, हमने देखा कि 13 डीलरों ने 2005-06 से 2008-09 के दौरान ₹ 2.07 करोड़ के कर प्रभाव वाली ₹ 29.11 करोड़ की बिक्री छिपा ली, इसके अतिरिक्त ₹ 6.23 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

यह इंगित किए जाने पर, ए.एज फरीदाबाद (प.) तथा गुड़गांव ने तीन मामलों में ₹ 2.25 करोड़ की मांग सृजित की। विभाग ने एग्जिट काफ्रेंस के दौरान आडिट आबजरवेशन भी स्वीकार कर ली थी।

(ii) छ: डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालयों¹⁶ के आठ मामलों में गलत रिटर्नज की फाइलिंग, गलत लेखाओं के प्रस्तुतिकरण तथा की गई वेरिफिकेशन के कारण ₹ 21.25 करोड़ की बिक्री/क्रय का कंफर्मड गोपन था, यद्यपि ये रिकार्ड में दर्ज था, फिर भी, ए.एज ने इन मामलों में इसे ध्यान में रखे बिना असैसमेंटस कर दी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.93 करोड़ के कर का अनुद्ग्राहण हुआ इसके अतिरिक्त ₹ 2.79 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

यह इंगित किए जाने पर, ए.ए. फरीदाबाद (पश्चिम) ने एक मामले में ₹ 5.13 लाख की मांग सृजित की थी। विभाग ने एग्जिट काफ्रेंस के दौरान (अक्टूबर 2013) आडिट आबजरवेशन भी स्वीकार कर ली थी।

2.4.3 नकली फार्मों के विरुद्ध छूट/दर रियायत

11 डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालयों¹⁷ में 19 डीलरों ने, 20 मामलों में क्रमशः 'एफ'/'सी' फार्मों के विरुद्ध सी.एस.टी. अधिनियम, 1956 के सेक्शन 6-ए तथा 8 के अंतर्गत राज्य से बाहर प्रेषण/बिक्री पर डिडक्शनज/दर रियायतें क्लेम की थी। इन फार्मों की आगे जांच ने दर्शाया कि छ: डीलरों ने 'एफ' फार्मों के विरुद्ध ₹ 5.60 करोड़ की छूट क्लेम की थी तथा 13 डीलरों ने (14 मामलों) 'सी' फार्मों के विरुद्ध ₹ 13.18 करोड़ की दर रियायत क्लेम की थी। आडिट द्वारा टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस. पर जांच द्वारा तथा अन्य राज्यों से पत्राचार के माध्यम से ये फार्म नकली पाए गए। ए.एज ने फिर भी, ये फार्म जांच के बिना स्वीकार कर लिए, परिणामतः ₹ 1.51 करोड़ का कर अपवंचन हुआ, इसके अतिरिक्त ₹ 4.54 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान, विभाग ने आडिट आबजरवेशन स्वीकार कर ली। ई.टी.सी. ने बताया कि चूककर्ता क्रेता डीलरों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए अन्य राज्यों के आयुक्तों के साथ मामला उठाया जाएगा।

15 फरीदाबाद (प.), फरीदाबाद (प.), गुड़गांव (प.), गुड़गांव (प.) तथा करनाल।

16 अंबाला, फरीदाबाद (प.), गुड़गांव (प.), कैथल, पानीपत तथा सिरसा।

17 अंबाला, फरीदाबाद (प.), गुड़गांव (प.), गुड़गांव (प.), हिसार, झज्जर, कैथल, कुरुक्षेत्र, पलवल, पानीपत तथा सोनीपत।

2.4.4 बिक्रियों का गलत वर्गीकरण

सी.एस.टी. अधिनियम, 1956 के सेक्शन 4(2) के प्रावधानों के अनुसार, माल का विक्रय अथवा क्रय राज्य के अंदर किया जाना माना जाएगा, यदि माल राज्य के भीतर है:

- (क) विशिष्ट अथवा सुनिश्चित माल के मामले में जिस समय बिक्री का कांट्रेक्ट किया जाता है; तथा
- (ख) असुनिश्चित अथवा भावी माल के मामले में, विक्रेता अथवा क्रेता द्वारा बिक्री के कांट्रेक्ट से उनके विनियोजन के समय, चाहे दूसरी पार्टी का असेंट ऐसे विनियोजन से पहले हो या बाद में।

पांच डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालयों¹⁸ में, 15 डीलरों (15 मामले) ने 2004-05 से 2008-09 के दौरान राज्य डीलर को ₹ 84.26 करोड़ की बिक्री की तथा बिक्री को अंतर्राज्य बिक्री मानते हुए इन डीलरों से प्राप्त 'सी' फार्मों के विरुद्ध कर की रियायती दर का लाभ क्लेम किया। उनकी दलील थी कि क्रय करने वाले स्टेट डीलरों द्वारा माल राज्य से बाहर डीलरों को भिजवाया गया था जो तत्रैव अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सही नहीं था क्योंकि स्टेट डीलरों के बीच बिक्री के कांट्रेक्ट के समय माल राज्य के भीतर था तथा इस प्रकार लोकल एक्ट के अंतर्गत कर उद्ग्राह्य था। इन मामलों में कर निर्धारण करते समय ए.एज ने भी डीलरों के क्लेम स्वीकार कर लिए थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.77 करोड़ के कर का कम निर्धारण हुआ, इसके अतिरिक्त ₹ 20.31 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

एगिजट काफ्रेंस के दौरान, विभाग ने बताया कि देय कर, स्टेट परचेजिंग डीलरों से उद्गृहीत कर लिया गया था तथा संबंधित डी.ई.टी.सीज से इस प्रभाव के आवश्यक सर्टिफिकेट्स, मामले के तथ्यों के साथ प्रस्तुत कर दिए जाएंगे परंतु विभाग इस तथ्य को एस्टेबलिश करने में विफल रहा।

2.4.5 रजिस्टर्ड डीलरों द्वारा कर का अपवंचन

2.4.5.1 डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) गुड़गांव (पूर्व) के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान हमने नवंबर 2011 में देखा कि दो डीलरों ने संभावित क्रेताओं के लिए 50:50 शेयर आधार पर एक कमर्शियल माल निर्माण के लिए सहयोग एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट के अनुसार, भूमि पहली पार्टी से संबंधित थी जबकि दूसरी पार्टी को अपनी लागत पर कमर्शियल माल निर्मित/विकसित करना था। प्रत्येक पार्टी अपने हिस्से के संबंध में वित्तीय/कर दायिता निभाने के लिए उत्तरदायी थी। वर्ष 2006-07 से 2009-10 के दौरान कथित माल के निर्माण के लिए ₹ 76.00 करोड़ की राशि की कुल सामग्री प्रयुक्त की गई तथा दूसरी पार्टी ने ₹ 38.00 करोड़ के अपने हिस्से पर चार प्रतिशत की दर पर ₹ 1.52 करोड़ का एकमुश्त कर भुगतान कांट्रेक्ट के रूप में किया जबकि पहली पार्टी ने न तो इसे अपनी रिटर्नस/लेखाओं में दर्शाया न ही इस पर कर भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.94 करोड़ के कर का कम निर्धारण हुआ, इसके अतिरिक्त ₹ 11.83 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान, विभाग ने आडिट आबजरवेशन स्वीकार की तथा बताया कि चूककर्ता डीलर के मामले में कर निर्धारण कर दिया गया था तथा कर उद्गृहीत कर लिया गया था।

2.4.5.2 डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) पंचकूला में लेखापरीक्षा द्वारा वैट भुगतान की जांच के दौरान, यह देखा गया कि एक डीलर ने 2010-11 के दौरान 12.5 प्रतिशत की दर पर ₹ 43.08 करोड़ के वैट सहित ₹ 3.88 करोड़ मूल्य की ए.के.-47 राइफल की होलोग्राफिक वेपन साईट बेची थी। डीलर 27 सितंबर 1996 से रजिस्टर्ड था तथा 2007-08 से शून्य रिटर्न भर रहा था। वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 असेसमेंट वर्षों के लिए एनुअल रिटर्न (वैट आर.-2) डीलर द्वारा नहीं भरी गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.43 करोड़ के कर का अपवंचन हुआ, इसके अतिरिक्त ₹ 1.29 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान, विभाग ने आडिट आबजरवेशन स्वीकार की तथा बताया कि मामले की रीअसेसमेंट प्रक्रिया अधीन है।

2.4.6 क्रयों/बिक्रियों को परिगणना में न लेना

एक डीलर ने, कमीशन आधार पर ₹ 4.05 करोड़ का धान खरीदा था तथा ट्रेडिंग अकाउंट के अनुसार उसकी धान की बिक्री ₹ 1.36 करोड़ की थी। इस प्रकार, कुल कर निर्धारण योग्य टर्नओवर ₹ 5.82 करोड़ परिकलित की गई (सेल्फ अकाउंट तथा कमीशन अकाउंट लाभ तत्व जोड़ने के बाद) परंतु ₹ 83.47 लाख के जी.टी.ओ. के साथ कर निर्धारित किया। इस प्रकार ₹ 4.99 करोड़ की बिक्री ₹ 19.96 लाख के कर प्रभाव वाले कर निर्धारण से बच गई, इसके अतिरिक्त ₹ 59.86 लाख की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान, विभाग ने आडिट अभ्युक्तियां स्वीकार की तथा बताया कि रीअसेसमेंटस तथा टैक्स के उद्ग्रहण के लिए आवश्यक निदेश डी.ई.टी.सी. को जारी कर दिए गए थे।

ये अभ्युक्तियां विभाग/सरकार को जारी की गई थी (जुलाई 2013); एग्जिट काफ्रेंस के समय दिए गए उत्तर संबंधित पैराज में शामिल कर लिए गए थे (अक्टूबर 2013)।

2.5 ब्याज का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण

एच.वी.ए.टी. अधिनियम का सेक्शन 14(6) साथ में निर्धारित करता है कि यदि कोई डीलर कर का भुगतान करने में विफल रहता है तो वह उसके द्वारा देय कर के अतिरिक्त डेढ़ प्रतिशत प्रतिमाह की (11 अक्टूबर 2007 से एक प्रतिशत) दर पर साधारण ब्याज यदि भुगतान नब्बे दिनों के अंदर किया जाता है तथा तीन प्रतिशत प्रतिमाह की दर पर (11 अक्टूबर 2007 से दो प्रतिशत) यदि चूक नब्बे दिनों के बाद जारी रहती है, कर के भुगतान के लिए विनिर्दिष्ट अंतिम तिथि से उसके भुगतान करने की तिथि तक समस्त अवधि के लिए भुगतान करने के लिए उत्तर दायी होगा। ई.टी.सी. हरियाणा ने सितंबर 1993 में निर्देश जारी किए कि कर निर्धारण के साथ पेनल प्रोसीडिंगज फाइनलाइज करना प्रत्येक ए.ए. का कर्त्तव्य है और यदि किसी कारण से पेनल कार्यवाही लंबित रखी जाती है तो वह कर निर्धारण के छः माह के अंदर पूरी की जानी चाहिए।

तीन मामलों में दो डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालयों में मार्च 2012 में वर्ष 2008-09 के लिए कर निर्धारण फाइनल करते समय, ए.ए. ने ₹ 7.77 करोड़ का कर उद्गृहीत किया परंतु दो मामलों में ब्याज उद्गृहीत नहीं किया तथा एक मामले में कम ब्याज उद्गृहीत किया। इसके परिणामस्वरूप तालिका 2.11 में दिए गए विवरणानुसार ₹ 5.85 करोड़ के ब्याज का अनुदग्रहण/कम उद्ग्रहण हुआ।

तालिका 2.11

क्र. सं.	डी.ई.टी.सी. का नाम	असैसमेंट वर्ष तथा असैसमेंट की तिथि	देय कर जिस पर ब्याज उद्गृहीत नहीं किया गया	ब्याज की राशि			टिप्पणियां
				उद्ग्राह्य	उद्गृहीत	अन्/कम उद्गृहीत	
(₹ लाख में)							
1.	डी.ई.टी.सी. (एस), गुडगांव (पश्चिम)	2008-09 (मार्च 2012)	4.17	3.42	शून्य	3.42	ए.ए. ने मार्च 2013 में ₹ 3.42 लाख की राशि का ब्याज उद्गृहीत किया
2.	- सम -	2008-09 (मार्च 2012)	15.15	12.73	2.14	10.59	ए.ए. ने अप्रैल 2013 में ₹ 11.33 लाख की राशि का ब्याज उद्गृहीत किया
3.	डी.ई.टी.सी. (एस), गुडगांव (पूर्व)	2008-09 (मार्च 2012)	757.84	570.69	शून्य	570.69	ए.ए. ने आदेश को ठीक किया तथा अप्रैल 2013 में रिटर्नज के अनुसार कर का भुगतान न करने के लिए ₹ 6.13 करोड़ का ब्याज उद्गृहीत किया
योग			777.16	586.84	2.14	584.70	

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान (अक्टूबर 2013) विभाग ने आडिट आबजरवेशनज स्वीकार की।